संख्या- 2/2026/001-2379-81-4-2025

प्रेषक,

विनय कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4लखनऊ : दिनांक 19 जनवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित "प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड एलीफैन्ट" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रीय सहायता की प्रथम किश्त के उपयोग हेतु धनराशि की स्वीकृति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-पी-353/36-टी-15(प्रो०टा० एन्ड प्रो०एली०) दिनांक 09.12.2025 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 में ''केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित "प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड एलीफैन्ट" योजना के राजस्व लेखा के मानकमद 02-मजदूरी में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि में से **रू0-1043.60 लाख (दस करोड तिरालिस लाख साठ हजार)** की धनराशि का विषयगत योजनान्तर्गत मानक मद 29-अनुरक्षण एवं 42-अन्य व्यय के अन्तर्गत क्रमश: 806.220 लाख एवं 237.379 लाख आन्तरित पुनर्विनियोग करते हुए वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोग सम्बन्धी प्रपत्र बी0एम0-9 पर प्रदत्त अनुमोदन/ आर.ई.संख्या–बजट-1-217, दिनाँक 06.01.2026 के क्रम में कुल धनराशि **रू0 2319.20लाख (तेईस करोड़ उन्नीस लाख बीस हजार)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखाशीर्षो एवं शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
5. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के संबंध में सुनिश्चित हो लेंगे।
9. विभागाध्यक्ष समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. बचत की धनराशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
11. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
12. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
13. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.10.2025 में अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2406021100138 (प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (आवर्तक व्यय) (के.50/रा.50-के.)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

1	060	2406021100138 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (आवर्तक व्यय) (के.50/रा.50-के.)	02 मजदूरी	6,64,17,500 (रुपये छह करोड़ चौंसठ लाख सत्रह हजार पाँच सौ मात्र)
2	060	2406021100138 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (आवर्तक व्यय) (के.50/रा.50-के.)	08 कार्यालय व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	060	2406021100138 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (आवर्तक व्यय) (के.50/रा.50-के.)	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
4	060	2406021100138 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (आवर्तक व्यय) (के.50/रा.50-के.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,58,000 (रुपये एक लाख अट्ठावन हजार मात्र)
5	060	2406021100138 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (आवर्तक व्यय) (के.50/रा.50-के.)	13 टेलीफोन पर व्यय	1,15,000 (रुपये एक लाख पन्द्रह हजार मात्र)
6	060	2406021100138 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (आवर्तक व्यय) (के.50/रा.50-के.)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	93,74,000 (रुपये तिरानबे लाख चौहत्तर हजार मात्र)
7	060	2406021100138 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (आवर्तक व्यय)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	8,20,000 (रुपये आठ लाख बीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		(के.50/रा.50-के.)		
8	060	2406021100138 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (आवर्तक व्यय) (के.50/रा.50-के.)	29 अनुरक्षण	8,06,22,000 (रुपये आठ करोड़ छह लाख बाईस हजार मात्र)
9	060	2406021100138 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (आवर्तक व्यय) (के.50/रा.50-के.)	42 अन्य व्यय	2,37,37,900 (रुपये दो करोड़ सैंतीस लाख सैंतीस हजार नौ सौ मात्र)
10	060	2406021100138 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (आवर्तक व्यय) (के.50/रा.50-के.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	7,50,000 (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)
11	060	2406021100138 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (आवर्तक व्यय) (के.50/रा.50-के.)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
12	060	2406021100138 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (आवर्तक व्यय) (के.50/रा.50-के.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
	कुल			**18,32,94,400 (रुपये अठारह करोड़ बत्तीस लाख चौरानबे हजार चार सौ मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

लेखाशीर्ष: 2406021100139 (प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (अनावर्तक व्यय) (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	060	2406021100139 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (अनावर्तक व्यय) (के.60/रा.40-के.)	29 अनुरक्षण	13,78,000 (रुपये तेरह लाख अठहत्तर हजार मात्र)
2	060	2406021100139 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (अनावर्तक व्यय) (के.60/रा.40-के.)	42 अन्य व्यय	2,64,24,100 (रुपये दो करोड़ चौंसठ लाख चौबीस हजार एक सौ मात्र)
	कुल			**2,78,02,100 (रुपये दो करोड़ अठहत्तर लाख दो हजार एक सौ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4406021100105 (प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (अनावर्तक व्यय) (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	060	4406021100105 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (अनावर्तक व्यय) (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	1,57,47,000 (रुपये एक करोड़ सत्तावन लाख सैंतालीस हजार मात्र)
2	060	4406021100105 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (अनावर्तक व्यय) (के.60/रा.40-के.)	25 लघु निर्माण कार्य	7,35,000 (रुपये सात लाख पैंतीस हजार मात्र)
3	060	4406021100105	26	43,41,500

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (अनावर्तक व्यय) (के.60/रा.40-के.)	मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	(रुपये तैंतालीस लाख इकतालीस हजार पाँच सौ मात्र)
	कुल			**2,08,23,500 (रुपये दो करोड़ आठ लाख तेईस हजार पाँच सौ मात्र)**

महायोग	23,19,20,000 (रुपये तेईस करोड़ उन्नीस लाख बीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय सं०-E-7-148-X-2025-26-दिनांक:16-01-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(विनय कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या- 2(1)/2026/001-2379-81-4-2025, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), चतुर्थ तल, हाल नं0-2, आडिट भवन, टी0सी0-35, बी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(विनय कुमार पाठक)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।